



177/21
24/3/22

01

सूचक क्रमांक 2
(विधिवे निपण 7)
मध्य प्रदेश शासन



समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक 03/27/01/22578/20

यह प्रमाणित किया जाता है कि मालवांचल पूर्व छात्र संगठन, समिति जो ग्राम मोरोदहाट एन.एच 59 -A नेमावर रोड इंदौर तहसील इन्दौर जिला इन्दौर में स्थित है, मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 09 मार्च 2020 को पंजीयित की गई है।

दिनांक 09 मार्च 2020

Signature valid
Digitally Signed by AJAY KUMAR KHARE
(Personal)
www.mca.gov.in

समितियां के रजिस्ट्रार

सत्यप्रतिमिपि

(बी. सु. सोलर्या)

असिस्टेंट रजिस्ट्रार

फर्म 15/न.सो.पार्. इन्दौर संस्थान.

इन्दौर


Note: This is a Digitally Signed document On 09/03/2020 12:32 PM Server Name : BHASKARACHARYA

Registrar
Mahwanchal University
Indore (M.P.)



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BT 721915



R.N. 22578/20

24.3.22

Registrar
Malwanchal University
Indore (M.P.)

मालवांचल विश्वविद्यालय
इंदौर (म.प्र.)
रजिस्ट्रार

Pajish

प्रारूप क्रमांक 1 (देखिये नियम 31) समितियों के संविधान हेतु श्रापन-पत्र	
आवेदन क्रमांक : 83150106529187012020	अनुमोदन दिनांक : 13 Feb 2020
1. सोसायटी का नाम मालवांचल पूर्व छात्र संगठन होगा।	
2. सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक ग्राम मोस्टेडहाट एन.एच 59 -A नेमावर रोड इंदौर 452016 तहसील Indore जिला Indore मध्य प्रदेश में स्थित होगा। सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव) 7314013778 ईमेल आईडी adm.registrar@malwanchaluniversity.com	
3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-	
1. सभी नए पुराने छात्रों को एक-दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए	
2. विश्वविद्यालय के सभी पूर्व छात्रों के डेटा बेस को बनाए रखने और अपडेट करने और उनके साथ बातचीत करने के लिए	
3. वर्तमान छात्रों के लाभ और प्रगति के लिए कॉलेज के पुराने छात्रों के समूह अनुभवों का उपयोग करना	
4. बेहतर रोजगार और उच्च अध्ययन के लिए अपने प्रयासों में उपस्थित छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करना।	
5. भारत और विदेशों में प्रतिष्ठित उद्योगों में काम करने वाले पुराने छात्रों के माध्यम से कंपस प्लेसमेंट को बढ़ावा देना	
6. विश्वविद्यालय के समग्र विकास में पूर्व छात्रों के मूल्यवान सलाह प्राप्त करने के लिए	
7. सांस्कृतिक और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिए सेमिनार, वाद-विवाद, कार्यशालाओं का आयोजन करना	
8. योग्यता और साधनों के आधार पर उच्च अध्ययन के लिए आवश्यक पूर्व छात्र सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना	
9. अपने शिक्षा उद्देश्य के लिए गरीब छात्रों को नकद या अन्य किसी तरह से दान की व्यवस्था करना	
10. पुस्तकालय, वाचनालय, व्याख्यान कक्ष, प्रशिक्षण केंद्र आदि को एसेसिमेंट के सदस्यों के लिए उपयोगी बनाए रखना	
11. विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षण और प्रशिक्षण कक्षाओं की व्यवस्था करने के लिए और सदस्यों को तकनीकी और सामान्य कोशल की उन्नत करने के लिए	
12. रोजगार की जानकारी के डेटाबेस को इकट्ठा करना और बनाए रखना और उपयुक्त नौकरियों को हासिल करने में सदस्यों की सहायता करना	
13. वेबसाइट को बनाए रखने के लिए, सदस्यों और छात्रों के लिए उपयोगी, उपयोगी जानकारी के साथ आवधिक पत्रिकाओं या बुलेटिनों को प्रकाशित करें।	
14. विश्वविद्यालय और सोसायटी के समग्र विकास में सदस्यों को शामिल करना	
15. सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर संचालक परिषद समिति या शासी निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई है:-	

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	व्यवसाय
1	निवेश कुमार सिंह	गंगा सागर सिंह	अध्यक्ष	102, इंडेक्स सिटी, एन एच 59-ए, नेमावर रोड, जिला इंदौर, Indore, Indore, Madhya Pradesh	नोकरी
2	राजेश शर्मा	अमित शर्मा	उपाध्यक्ष	एफ-7, ईएसआईसी हॉस्पिटल डॉक्टर कॉलोनी, नन्दा नगर, इंदौर, Indore, Indore, Madhya Pradesh	नोकरी
3	महाकाश सिंह बंदेल	श्याम किशोर बंदेल	सचिव	91-बी, राजेंद्र नगर इंदौर, Indore, Indore, Madhya Pradesh	नोकरी
4	रोनिका शीवास्तव	जगदीश चन्द्र शीवास्तव	कोषाध्यक्ष	101, मिश्र नगर इंदौर, Indore, Indore, Madhya Pradesh	नोकरी
5	अरु पी कुमार	राज अवरुथी	संयुक्त सचिव	204, एस पी बिल्लास, बाइपास, कनडिया, इंदौर, Indore, Indore, Madhya Pradesh	नोकरी
6	जीरोन्द्र विनोदकर	सुरेश विनोदकर	सदस्य	142, ग्राम दावलिया खुर्द, Indore, Indore, Madhya Pradesh	नोकरी
7	राजेश प्रजापत	रामेश्वर प्रजापत	सदस्य	123, ग्राम निर्जपुर, Indore, Indore, Madhya Pradesh	नोकरी

5. (संगीत) के इस श्रापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है। हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त श्रापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा श्रापन-पत्र पर निर्दिष्ट साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

Signature

Registrar
Malwanchal University
Indore (M P)

क्रमांक	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते, पिता/पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
1	विजेंद्र कुमार सिंह, गंगा सागर सिंह, 10/2, इंडेक्स सिटी, एन एच 59-ए, नेमावर रोड, जिला इंदौर, Indore, Indore, Madhya Pradesh	
2	पावल शर्मा, अमित शर्मा, एफ-7, ईएसआईसी हॉस्पिटल डॉक्टर कॉलोनी, नन्दा नगर, इंदौर, Indore, Indore, Madhya Pradesh	
3	महाकांत सिंह चंदेल, श्याम किशोर चंदेल, 91-बी, राजेंद्र नगर इंदौर, Indore, Indore, Madhya Pradesh	
4	सोनिका श्रीवास्तव, जगदीश चन्द्र श्रीवास्तव, 101, मिश्र नगर इंदौर, Indore, Indore, Madhya Pradesh	
5	अनु वी कुमार, जय अदस्थी, 204, एस पी विल्लास, बाह्यास, कनडिया, इंदौर, Indore, Indore, Madhya Pradesh	
6	जीतेन्द्र चिंचोलकर, सुरेश चिंचोलकर, 142, ग्राम बापलिया खुर्द, Indore, Indore, Madhya Pradesh	
7	राजेश प्रजापत, रामेश्वर प्रजापत, 123, ग्राम मिर्जपुर, Indore, Indore, Madhya Pradesh	

6. हम निम्नानुसार पदाधिकारी / सदस्य आदर्श उप-विधियों प्रारूप एक क को सोसाइटी की उप-विधियों के रूप में स्वीकार करते हैं।
 (सचिव)
 दिनांक: _____



पति नं. 22578 दि. 01/1/20

सोसाइटी से संबंधित दस्तावेज संलग्न करें-

- चालान क्रमांक SBIN00615914751601202071225
- नियमावली
- पदाधिकारी के पहचान पत्र की जानकारी
- पहचान पत्र के लिये Permanent Account Number
- पदाधिकारी के पता की जानकारी
- पत्र के लिये Bank account statement/bank pass book
- Uploaded ID Proof
- Uploaded Address Proof

पहचान पत्र का क्रमांक GEQPS6093D

पते का क्रमांक 885610110003404

साक्षी:- /> हस्ताक्षर :-
 साक्षी का नाम :- yinod yadav
 साक्षी का पिता/पति:- Mr Ramesh Chandra
 पूर्ण पता :- 104 trishul apartment 5 sanghi colony a.b. road, indore


सत्यप्रतिष्ठा

 (बी. ए. सी. सी. 22)
 असिस्टेंट रेजिस्ट्रार
 कर्मचारी संस्थान, इंदौर
 Registrar
 Malwanchal University
 Indore (M P)



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BT 721913



R.N. 22578/20

[Handwritten signature]
 20-3-22

अतिरिक्त उपनिष्ठा
 अध्यापक संख्या, इन्दौर संस्था
 इन्दौर

[Handwritten signature]
 Registrar
 Malwanchal University
 Indore (M.P.)

[Handwritten signature]

1771121
24/3/22

S.15

नियमावली

आवेदन क्रमांक : S3150106529107012020

अनुमोदन दिनांक : 13 Feb 2020

1. सोसायटी का नाम मालवांचल पूर्व छात्र संगठन होगा।
2. सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक ग्राम मौरोदहाट एन.एच 59 -A नेमावर रोड इंदौर 452016 तहसील इन्दौर जिला इन्दौर मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा।
4. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-

1. सभी नए पुराने छात्रों को एक-दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए
2. विश्वविद्यालय के सभी पूर्व छात्रों के डेटा बेस को बनाए रखने और अपडेट करने और उनके साथ बातचीत करने के लिए
3. वर्तमान छात्रों के लाभ और प्रगति के लिए कॉलेज के पुराने छात्रों के समृद्ध अनुभवों का उपयोग करना
4. बेहतर रोजगार और उच्च अध्यापन के लिए अपने प्रयासों में उपस्थित छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करना।
5. भारत और विदेशों में प्रतिष्ठित उद्योगों में काम करने वाले पुराने छात्रों के माध्यम से कंपस प्लेसमेंट को बढ़ावा देना
6. विश्वविद्यालय के समग्र विकास में पूर्व छात्रों के मूल्यवान सलाह प्राप्त करने के लिए
7. सांस्कृतिक और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिए सेमिनार, वाद-विवाद, कार्यशालाओं का आयोजन करना
8. शोषित और साधनों के आधार पर उच्च अध्यापन के लिए आवश्यक पूर्व छात्र सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
9. अपने शिक्षा उद्देश्य के लिए गरीब छात्रों को नकद या अन्य किसी तरह से दान की व्यवस्था करना
10. पुस्तकालय, वाचनालय, व्याख्यान कक्ष, प्रशिक्षण केंद्र आदि को एसोसिएशन के सदस्यों के लिए उपयोगी बनाए रखना
11. विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षण और प्रशिक्षण कक्षाओं की व्यवस्था करने के लिए और सदस्यों को तकनीकी और सामान्य कौशल को उन्नत करने के लिए
12. रोजगार की जानकारी के डेटाबेस को इकट्ठा करना और बनाए रखना और उपयुक्त नौकरियों को हासिल करने में सदस्यों की सहायता करना
13. वेबसाइट को बनाए रखने के लिए, सदस्यों और छात्रों के लिए उपयोगी, उपयोगी जानकारी के साथ आवधिक पत्रिकाओं या बुलेटिनों को प्रकाशित करें।
14. विश्वविद्यालय और सोसाइटी के समग्र विकास में सदस्यों को शामिल करना

दि. 21.5.2020

Handwritten signature

सोसाइटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गों के होंगे:-

(अ) संरक्षक सदस्य: वह व्यक्ति जो रूपरे 1000/- या अधिक एकमुश्त दान करता है या एक साल के भीतर बारह किश्तों में भुगतान करता है, सोसाइटी का संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) आजीवन सदस्य: वह व्यक्ति जो रूपरे 500/- या अधिक का भुगतान करता है, सोसाइटी का आजीवन सदस्य होगा।

(स) साधारण सदस्य: वह व्यक्ति जो रूपरे 10/- प्रतिमाह या रूपरे 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके कि लिए वह अंशदान करेगा।

(द) अतिथिक सदस्य: सोसाइटी की प्रबंधकारणी समिति, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मानसेवी सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मिलन में भाग से सकते हैं, परंतु वे मत देने के हकदार नहीं होंगे।

सदस्यता की प्राप्ति-प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

सदस्यों की योग्यता- संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है:-

1. आयु 18 वर्ष से कम न हो।
2. भारतीय नागरिक हो।
3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।
4. सदाचरित्र हो तथा संधपान न करता हो।

Handwritten signature

Registrar
Malwanchal University
Indore (M.P.)

Registrar

सदस्यता को समाप्त- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी-

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल हो जाने पर।
3. संग्रह को देय वंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमाना न करने पर।
4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।
5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।

9. संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित खीरे दर्ज किये जावेगे-

1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर
2. वह तारीख जिसको सदस्य को प्रवेश दिया गया व एसीद नंबर।
3. वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।

10. (अ) साधारण सभा- साधारण सभा में नियम 5 में दशयि श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबन्धित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा- प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।

(स) विशेष- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दशयि विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य:-

- (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
- (ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
- (ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।
- (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।
- (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।
- (छ) बजट का अनुमोदन करना।

दिनांक 22/5/19 से 9/3/20

12. प्रबंधकारिणी का गठन- नियम 5 ((अ), (ब), (स)) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बैठक के आधार पर निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

- 1) अध्यक्ष 1, (2) उपाध्यक्ष 1, (3) सचिव 1, (4) कोषाध्यक्ष 1, (5) संपुक्त सचिव 1, (6) सदस्य 2

13. प्रबंध समिति का कार्यकाल- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किंतु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से करना अनिवार्य होगा।

14. प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य-

(क) किन् उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय को पूर्ण हेतु व्यवस्था करना।

(ख) पिछले वर्ष का आय व्यय लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।


(ग) समिति एवं उनके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।


(घ) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(च) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।

(छ) संस्था की सनस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(ज) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्टर की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या प्राप्त नहीं की जायेगी।


सचिव


कोषाध्यक्ष

Registrar
Malwanchal University
Indore (M.P.) 2/3



15. अध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में समान मत होने पर निर्णायक होगा।
16. उपाध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।
17. सचिव, एक समय में रु. 5000/- तक की राशि मंजूर करने हेतु प्राधिकृत होगा।
18. संयुक्त सचिव के अधिकार- सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा।
19. कोषाध्यक्ष के अधिकार- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।
20. बैंक खाता- सोसाइटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा की जावेगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष/सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा। प्रतिदिन के व्यय के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रु. 5000/- रहेंगे।
21. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी- अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 के दिन भीतर विहित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत विहित शुल्क के साथ संस्था एवं संचालित समस्त ईकाइयों की परीक्षित लेखा भेजेगी।
22. विघटन- संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
23. सम्पत्ति- संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्वावर) रजिस्टार, फर्मा एवं संस्थाएँ की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।

[Signature]
सचिव

[Signature]
सचिव

[Signature]
कोषाध्यक्ष



क्र. नं. 21578 दि. 9/3/20

अ. प्रिन्सिपल
विभाग

सत्यतिलिपि

(बी. एस. सोलंकी)
असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फार्म एवं संस्थाएँ, अर्थात् संस्थाएँ
इं. इन्दौर

[Signature]


[Signature]

Registrar
Malwanchal University
Indore (M.P.)



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BT 721914



R.N. 22578/20

[Handwritten Signature]
24.3.22

(वी. पु. सोलंकी)
असिस्टेंट रेजिस्ट्रार

मालवांचल विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)

[Handwritten Signature]
Registrar
Malwanchal University
Indore (M.P.)

[Handwritten Signature]